राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
71वीं बैठक दिनांक 29 नवम्बर, 2019 की कार्य सूची (एजेण्डा)

70वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि :

एजेण्डा संख्या – 1 : नीतिगत विषय	(क) प्राकृतिक आपदा – राहत उपाय (बाढ़ग्रस्त क्षेत्र) (ख) अल्पावधि एवं दीर्घावधि फसल ऋण (Short and Long Term Crops) (ग) डिजीटल ट्रान्जेक्शन की गहनता हेतु उप–समिति का गठन (Constitution of Sub-Committee on Deepening of Digital Transaction) (घ) डिजीटल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम – 100% डिजीटाइजेशन (ङ) ऑन–लाइन पोर्टल – सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं (च) लीड बैंक स्कीम – एस.एल.बी.सी. के आँकड़ों का संप्रेषण एवं प्रबंधन में सुधार (Revamp of Lead Bank Scheme – SLBC Data Flow and its Management)
एजेण्डा संख्या – 2 : वित्तीय समावेशन – बैंकिंग नेटवर्क एवं वित्तीय साक्षरता	(क) जन–धन दर्शक जी.आई.एस. ऐप के अनुसार वित्तीय बुनियादी सुविधाओं से अपर्याप्त रुप से आच्छादित / अनाच्छादित गाँव तथा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (Villages inadequately covered or uncovered by Financial Infrastructure on Jan Dhan Darshak GIS App/ Business Correspondent) (ख) वी.सैट की स्थापना (ग) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सर्टिफिकेशन – ग्रेडिड सर्टिफिकेशन प्रोसेस (घ) वित्तीय साक्षरता कैम्प
एजेण्डा संख्या – 3 : बैंकों द्वारा ऋण वितरण	(क) वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME)
एजेण्डा संख्या – 4 : कृषि – अनुषंगी गतिविधियों में ऋण वितरण प्रगति	(क) किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्त (KCC saturation) अभियान (ख) किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से कृषि अनुषंगी गतिविधियों में ऋण वितरण की प्रगति (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
एजेण्डा संख्या – 5 : ऋण–जमा अनुपात	40 प्रतिशत से कम ऋण–जमा अनुपात वाले जिलों पर चर्चा
एजेण्डा संख्या – 6 : गैर–निष्पादित अस्तियाँ (एन.पी.ए.)	सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत एन.पी.ए. खातों का विवरण तथा वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष वसूली की समीक्षा
एजेण्डा संख्या – 7 : कौशल विकास मिशन	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) की गतिविधियों की समीक्षा
एजेण्डा संख्या – 8 : केंद्र / राज्य सरकार की नीति	(क) सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं (ख) गोदाम रसीद पर अग्रिम (Advance against Warehoues Receipt) (ग) उद्योग नीति, एम.एस.एम.ई., कृषि नीति (घ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण वितरण की प्रगति समीक्षा
एजेण्डा संख्या – 9 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।	

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
71वीं बैठक दिनांक 29 नवम्बर, 2019 की कार्य सूची (एजेण्डा)

70वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 70वीं बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2019 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्यवाही से एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को अवगत कराया गया है, जिनकी पुष्टि निम्नलिखित स्थायी समितियों की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

1. बैंक रहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक दिनांक 13 नवम्बर, 2019
2. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक दिनांक 18 नवम्बर, 2019
3. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति बैठक दिनांक 19 नवम्बर, 2019
4. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक दिनांक 20 नवम्बर, 2019

एजेण्डा संख्या – 1 : नीतिगत विषय :

(क) प्राकृतिक आपदा – राहत उपाय (बाढ़ग्रस्त क्षेत्र) :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 2/6/2011–एफ.आई.(सी.–47940) दिनांक 14 अगस्त, 2019 जिसमें गुजरात एवं उत्तराखंड राज्यों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय करने से संबंधित है। इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या एफ.आई.डी.डी./सी.ओ./एफ.एस.डी.–वी.सी.नं. 9/02.10.001/2018–19 दिनांक 17 अक्टूबर, 2018, जो कि सभी आपदाग्रस्त वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंक एवं ग्रामीण बैंक को संबोधित किया गया है, जिसमें प्राकृतिक आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बैंकों द्वारा घोषित किए गए राहत उपाय वर्णित हैं।

इस विषय सचिव (वित्त, आपदा प्रबन्धन एंव पुनर्वास विभाग), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को एक बैठक आयोजित बैठक के पश्चात पत्रांक 1486/XVIII-(2)/19-15(34)/2013 दिनांक 06 नवम्बर, 2019 द्वारा सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

(ख) अल्पावधि एवं दीर्घावधि फसल ऋण (Short and Long Term Crops) :

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या DBR.No.BC.2/21.04.048/2015-16 दिनांक 01.07.2015 के अनुरुप कृषि फसलों से सम्बन्धित ऋणों में गैर–निष्पादित आस्तियों (NPA) का निर्धारण अल्पावधि एवं दीर्घावधि फसलों के आधार पर किया जाता है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 70वीं बैठक में उपरोक्त बिन्दु को रखा गया था, जिसके अनुरुप निदेशक, कृषि द्वारा राज्य में उगाई जाने वाली फसलों की अवधि के निर्धारण की सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को उपलब्ध करायी गयी है। हमें यह भी अवगत कराना है कि कृषि विभाग द्वारा पहाड़ी क्षेत्र के जिलों, नैनीताल (पहाड़ी क्षेत्र) तथा देहरादून (पहाड़ी क्षेत्र) (Annexure –1) एवं मैदानी क्षेत्र के जिलों हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून (मैदानी क्षेत्र) (Annexure – 2), नैनीताल (मैदानी क्षेत्र) के आधार पर तथा दीर्घावधि फसल (गन्ना) के लिए समय सारणी (Annexure – 3) उपलब्ध करा दी गयी है, जो सदन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। हमारा सदन से अनुरोध है कि उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में कृषि विभाग द्वारा सूचित / प्रदत्त अल्पावधि एवं दीर्घावधि की फसलों का अनुमोदन करने की कृपा करें, जिससे कि बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के आलोक में गैर–निष्पादित अस्तियों का निर्धारण कर सकें।

(ग) Constitution of a Sub-Committee on Deepening of Digital Transaction :

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या FIDD.CO.LBS.No. 75/02.01.001/ 2019-20 दिनांक 27 अगस्त, 2019 में दिए गए निर्देशानुसार डिजीटल भुगतान (Digital Payments) की प्रगति की समीक्षा

हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के अंतर्गत एक उप–समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है, जिसमें पूरे राज्य में Digital Transaction की प्रगति की समीक्षा आवधिक अंतराल पर किया जाना निर्देशित है। अतः यह प्रस्तावित है कि Deepening of Digital Transaction पर एक उप–समिति का गठन श्री अमित नेगी, सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में किया जा सकता है। प्रसंगवश, वित्तीय समावेशन पर पहले से ही एक अन्य उप–समिति श्री अमित नेगी, सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में कार्यरत है, जिसकी कार्य सूची मुख्यतः डिजीटल वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता पर केंद्रित हैं। अतः यह भी प्रस्तावित है कि वित्तीय समावेशन हेतु उप–समिति की कार्य सूची के बिंदुओं को Deepening of Digital Transaction पर उप–समिति में विलय किया जा सकता है और केवल एक उप–समिति बनायी जा सकती है। सदन से अनुरोध है कि Deepening of Digital Transaction पर उप–समिति के गठन को अनुमोदित करें।

(घ) Digital District Programme – 100% Digitization :

गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, इण्डियन बैंक एसोसिएशन एवं सार्वजनिक बैंकों के सी.ई.ओ. के मध्य हुई एक बैठक दिनांक 19 जुलाई, 2019 को आयोजित की गयी, जिसमें निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक बैंक प्रत्येक राज्य में जहाँ वह अग्रणी बैंक की भूमिका में है, एक जिले का चयन करते हुए उसे 100 प्रतिशत Digitalized करने की कार्यवाही करेंगे, जिसके लिए एक वर्ष की समय सीमा निश्चित की गयी है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 07 अक्टूबर, 2019 के परिपत्र के अनुरुप सभी बैंक, जो राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक की भूमिका में हैं, को तदानुसार निर्देशित किया गया है। संबंधित जिले को पूर्ण रुप से 100 प्रतिशत Digitalized करने हेतु सभी स्टेकहोल्डर्स यथा जिले में कार्यरत सभी बैंक, राज्य सरकार के विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक इसमें अपना अपेक्षित योगदान देंगे। इसी अनुक्रम में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस विषयक निर्गत में निर्देशों के अनुरुप उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा जिले का चयन करते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक, अल्मोड़ा को Designated Lead Convener पदनामित (Designate) किया गया है तथा भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्र – 2, अल्मोड़ा को प्रोजेक्ट नोडल अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है। संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक / Designated Lead Convener द्वारा आवधिक अंतराल पर प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसकी निगरानी / समीक्षा शीर्ष स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड में किया जाना निर्देशित है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि (सचिव वित्त), द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के साथ आयोजित बैठक में जिला स्तरीय कमेटी / राज्य स्तरीय कमेटी बनाने विषयक निर्देश सलाहकार, वित्त, बैंकिंग को दिए गए हैं।

(ङ) Online Portal – Government Sponsored Schemes :

(i) **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** – विभाग द्वारा एन.आर.एल.एम. पोर्टल तैयार कर लिया गया है, जिसकी आई.डी. एवं पासवर्ड सभी बैंकों को उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। विभाग द्वारा पोर्टल के परिचालन / हैण्डहोल्डिंग संबंधी प्रशिक्षण सभी बैंकों को दिया गया है। इसी अनुक्रम में दिनांक 18 नवम्बर, 2019 को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया कि वे एक बार पुनः प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड एवं बैंक नियत्रकों को योजनांतर्गत प्रगति की निगरानी / अनुश्रवण हेतु आई.डी. तथा पासवर्ड उपलब्ध कराएं।

(ii) **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन** – मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों की प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 14 नवम्बर, 2019 को विभाग द्वारा सचिव, वित्त, उत्तराखंड शासन को आश्वासन दिया गया कि वे दिनांक 23 नवम्बर, 2019 तक पोर्टल तैयार कर लेंगे।

(iii) **स्पेशल कम्पोनेंट प्लान** – मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों की प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 14 नवम्बर, 2019 को विभाग द्वारा सचिव, वित्त, उत्तराखंड शासन को आश्वासन दिया गया कि वे दिनांक 25 नवम्बर, 2019 तक पोर्टल तैयार कर लेंगे।

(iv) **वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना** – मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों की प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 14 नवम्बर, 2019 को विभाग द्वारा सचिव, वित्त, उत्तराखंड शासन को आश्वासन दिया गया कि वे दिनांक 20 नवम्बर, 2019 तक पोर्टल तैयार कर लेंगे।

(च) Revamp of Lead Bank Scheme – SLBC Data Flow and its management :

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या FIDD.CO.LBS.No.558/02.01.001/2019-20 दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में एस.एल.बी.सी. के डाटा प्रवाह एवं प्रबंधन प्रणाली में एकरुपता लाने के उद्देश्य (Developing a Standardized System for Data Flow and its management) विषयक बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 2019 में 15 बैंकों को सम्मिलित करते हुए सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया। इसी अनुक्रम में क्रियान्वयन समिति की बैठक दिनांक 15 नवम्बर, 2019 में Developing a Standardized System for Data Flow के सभी प्रारुपों पर विस्तार से विचार–विमर्श एवं विस्तृत रुप से चर्चा की गयी तथा समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि डाटा प्रवाह एवं प्रबंधन प्रणाली में एकरुपता लाने के उद्देश्य से डाटा को नये प्रारुप में अपने कारपोरेट कार्यालय से वार्ता कर इस विषयक हुई प्रगति से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को तुरंत अवगत कराए। सभी बैंक नियंत्रकों (सहकारी बैंक को छोड़कर) द्वारा आश्वासन दिया गया कि उपरोक्त कार्य नियत समय सीमा के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। उपरोक्त प्रणाली में सभी सदस्य बैंकों द्वारा प्रगति आँकड़े बैंक के सी.बी.एस. सर्वर से एस.एल.बी.सी. की ऑन–लाइन साइट पर सीधे अपलोड किए जाएंगे, जिससे आँकड़ों में Manual Intervention शून्य हो जाएगा।

इस विषयक एक बैठक दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को प्रातः 11:00 बजे आहूत की जानी प्रस्तावित है, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी (M/s Softrack InfoSolutions Pvt. Ltd.) को भी आमंत्रित किया जाएगा तथा वैण्डर द्वारा सॉफ्टवेयर परिचालन / हैण्डहोल्डिंग पर प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा।

एजेण्डा संख्या – 2 : वित्तीय समावेशन – बैंकिंग नेटवर्क एवं वित्तीय साक्षरता :

(क) Villages inadequately covered or uncovered by Financial Infrastructure on Jan Dhan Darshak GIS App/ Business Correspondent :

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से GIS पोर्टल पर अपलोड गाँव, जिनमें **05** किलोमीटर की परिधि में बैंकिंग के आधारभूत सुविधा (Branch/B.C./Indian Post Payments Bank) उपलब्ध नहीं है, के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में **101** गाँवों की सूची राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को परीक्षण हेतु दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को प्रेषित की गयी थी, जिसमें से **03** गाँव बूँदी, गर्बियांग एवं रालम गाँव बैंकिंग सुविधा से रहित पाए गए थे।

साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार वर्ष 2012 में वित्तीय समावेशन के रोडमैप के अनुसार **2149** एस.एस.ए. में शामिल गाँवों में से जून, 2019 त्रैमास की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में **137** एस.एस.ए. लम्बित थे, जिनको जन–धन दर्शक ऐप में प्रदर्शित बैंकिंग आधारभूत सुविधा के साथ मिलान करने पर यह पाया गया कि **04** गाँव, जिनका विवरण निम्न है, के अतिरिक्त अन्य सभी गाँवों के 05 किलोमीटर की परिधि में बैंकिंग की आधारभूत सुविधा उपलब्ध होना दर्शित है।

(क) रालम – पंजाब नेशनल बैंक (लम्बित)।

(ख) टंकुल, बुंगबुंग एवं सिमखोला – नैनीताल बैंक लि. (सभी जिला पिथौरागढ) लम्बित।

उपरोक्त 04 गाँव में से 01 गाँव (रालम) दोनों सूची (वित्तीय सेवाएं विभाग एवं भारतीय रिजर्व बैंक) में शामिल है। पंजाब नेशनल बैंक व नैनीताल बैंक लि. को पुनः निर्देशित किया गया है कि वे 30 नवम्बर, 2019 तक बी.सी. नियुक्त कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को इसकी पुष्टि करें।

सदन को अवगत कराना है कि वर्तमान में मात्र 04 गांवों में बैंकिंग की आधारभूत सुविधा उपलब्ध करायी जानी लम्बित होना रिपोर्ट किया गया है, अतः यदि सदन अनुमत करे तो इस विषयक प्रगति की समीक्षा हेतु पूर्व में गठित वित्तीय समावेशन की उप–समिति, जिसको Deepening of Digital Transaction की उप–समिति के रुप में विलय कर परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है अथवा डिजीटल ट्रान्जेक्शन विषयक नवगठित समिति में भविष्य में समीक्षा की जा सकती है तथा कार्य समापन के बाद प्रगति को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड सदन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। अतः सदन से अनुरोध है कि इस विषयक वांछित अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सदन को अवगत कराना है कि दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 को संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक, जिसकी अध्यक्षता विशेष सचिव, भारत सरकार द्वारा की गयी, में प्रतिभाग किया गया था, जिसमें यह निर्देशित किया गया था कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी गाँवों में 05 किलोमीटर की परिधि में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होने को आधार मानते हुये नियमित अंतराल पर सर्वे / परीक्षण कराया जा रहा है तथा इसकी पुष्टि बैंकों, इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से समय–समय पर करायी जा रही है। उनके द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि यह निरन्तर प्रक्रिया है जिसके अनुरुप 05 किलोमीटर की परिधि में बैंकिंग outlet की समीक्षा की जाती रहेगी।

(ख) वी.सैट की स्थापना

जून, 2019 त्रैमास में वी.–सैट लगाने हेतु लम्बित 20 स्थानों के सापेक्ष वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर बैंकिंग सुविधा वैकल्पिक रुप से उपलब्ध होने की सूचना के आधार पर स्थिति को अद्यतन करते हुए, यह पाया गया है कि वी.–सैट लगाने हेतु लम्बित स्थानों पर वैकल्पिक माध्यमों से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान किया जाना रिपोर्ट किया गया है, जिससे कि इस विषयक लम्बित स्थिति वर्तमान में निरंक है।

हमें अवगत कराना है कि वित्तीय सेवाएं वित्त विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा Department of Telecommunication / Telecom Service Provider एवं प्रमुख बैंकों के साथ एक बैठक दिनांक 13 नवम्बर, 2019 को आयोजित की गयी थी, जिसमें पुनः सभी बैंकों / इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को कनेक्टिविटी रहित क्षेत्र से संबंधित सूचना दिनांक 20 नवम्बर, 2019 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

(ग) Business Correspondent Certification – graded certification process :

बैंकों द्वारा पूर्व में नियुक्त किए गए समस्त कार्यरत Business Correspondent को मार्च, 2022 तक तथा नए बी.सी. को 9 माह के अंदर B.C. Certification कोर्स करवाकर, B.C. Certification कोर्स पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति दावा नाबार्ड को प्रेषित किया जाना निर्देशित है।

B.C. Certification कोर्स की 31-10-2019 तक की प्रगति निम्नवत है :

Total No. of B.C	No. of B.C. completed B.C. Certification Course	No. of remaining B.C. for completion of B.C. Certification Course
2086	575	1511

(घ) वित्तीय साक्षरता कैम्प :

बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता कैम्प के माध्यम से डी.बी.टी./किसान क्रेडिट कार्ड एंव फसल बीमा योजना के लिये जनसाधारण को जागरुक करने का कार्य किया जा रहा है तथा डिजीटल ट्रान्जेक्शन के विषय में बैंकों द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर बैंकों एंव वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों की प्रगति निम्नवत है :

त्रैमास	जनसाधारण हेतु कैम्प की संख्या	एस.एच.जी. हेतु कैम्प की संख्या	कुल कैम्प की संख्या
अप्रैल–जून, 2019	1487	874	2361
जुलाई–सितम्बर, 2019	1633	974	2607
कुल	**3120**	**1848**	**4968**

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी बैंक की ग्रामीण शाखाएं प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार बैंकिंग व्यवसाय समाप्त होने के पश्चात एक वित्तीय साक्षरता कैम्प का अनिवार्य रुप से आयोजन करेंगे, जिसमें अनिवार्य रुप से एस.एच.जी / कृषक / सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी / छात्र / वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित करते हुए कैम्प की सूचना प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करेंगे। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में एक से अधिक बैंक की शाखायें कार्य कर रही हैं, वहां पर सभी शाखायें आपस में सामन्जस्य कर वित्तीय साक्षरता कैम्प का आयोजन करेगी।

एजेण्डा संख्या – 3 : बैंकों द्वारा ऋण वितरण : (SLBC - 3 & 3a)

(क) वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि :

वार्षिक ऋण योजना 2019–20 हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य **₹ 22011.28 करोड़** के सापेक्ष सितम्बर, 2019 त्रैमास तक बैंकों द्वारा **₹ 10324.15 करोड़** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि लक्ष्य का **47** प्रतिशत है।

(₹ करोड़ में)

मद	वार्षिक	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
फसली ऋण	6806.40	2373.34	35
सावधि ऋण	3578.65	1591.93	44
फार्म सेक्टर (कुल योग)	10385.05	3965.28	38
नॉन फार्म सेक्टर	8031.49	5387.06	67
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3594.74	971.81	27
कुल योग	22011.28	10324.15	47

(ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) : **(SLBC - 27 & 27A)**

वार्षिक लक्ष्य **₹ 8031.49 करोड़** के सापेक्ष **₹ 5387.06 करोड़** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो लक्ष्य का **67** प्रतिशत है। एम.एस.एम.ई. सेक्टर में इकाइयों को सेक्टरवार कुल वितरित ऋणों की outstanding निम्नवत है :

(कुल प्रदत्त राशि, ₹ करोड़ में)

सूक्ष्म इकाई		लघु इकाई		मध्यम इकाई		कुल ऋण राशि		कुल योग
विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	एम.एस.एम.ई.
1560	3947	2343	5920	1094	981	4997	10848	15845

एजेण्डा संख्या – 4 : कृषि – अनुषंगी गतिविधियों में ऋण वितरण प्रगति :

(क) किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्त (KCC saturation) अभियान :

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार के.सी.सी. से अलाभान्वित कृषकों को के.सी.सी. से संतृप्त करने के लिए एक अभियान दिनांक 15 अगस्त, 2019 से 45 दिन के लिए राज्य के समस्त जिलों में चलाया गया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी रेखीय विभागों (कृषि विभाग, उद्यान विभाग एवं पशुपालन विभाग) के सहयोग से बैंकों द्वारा **11,908** किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए, जिनका जिलेवार विवरण निम्नवत है :

जिला	वितरित के.सी.सी. की संख्या	जिला	वितरित के.सी.सी. की संख्या
देहरादून	487	चम्पावत	154
हरिद्वार	450	पिथौरागढ़	286
टिहरी	577	बागेश्वर	113
रुद्रप्रयाग	1148	नैनीताल	1362
उत्तरकाशी	1307	अल्मोड़ा	2081
पौड़ी	386	उधम सिंह नगर	2450
चमोली	1107	कुल जारी कार्ड	11908

किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्ता अभियान के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य में पंचायत चुनाव घोषित होने पर आचार संहिता का अनुपालन करने हेतु ब्लॉक, पंचायत एवं ग्राम स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार.प्रसार तथा कैम्प का आयोजन संभव नहीं हो सका। दिनांक 14 नवम्बर, 2019 को आयोजित मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्देशित किया गया कि बैंक पुनः किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ वंचित किसानो को पहुंचाने के लिये कैम्प आयोजित करें, जिसमें कृषि विभाग की जिला स्तरीय इकाई किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित कृषकों की सूची / विवरण उपलब्ध कराने की अपेक्षित कार्यवाही करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय त्रैमास में किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति निम्नवत है : **(SLBC - 5)**

(₹ करोड़ में)

के.सी.सी. लक्ष्य (KCC)	01.04.2019 से 30.09.2019 तक जारी कार्ड (नये एवं नवीनीकृत)	01.04.2019 से 30.09.2019 तक जारी नये के.सी.सी.	कुल जारी किए गए कार्ड की संख्या	30.09.2019 तकवितरित ऋणों की outstanding
100000	196776	21350	589689	6923.17

(ख) किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से कृषि अनुषंगी गतिविधियों में ऋण : वितरण की प्रगति : **(SLBC – 47 & 47A)**

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों की प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 14 नवम्बर, 2019 में बैंकिंग सलाहकार द्वारा मौखिक रुप से अवगत कराया गया है कि किसानों की आय दोगुना करने विषयक सक्षम कमेटी का गठन मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में कर लिया गया है। इसके संबंध में शासनादेश जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

भारत सरकार के वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों के अंतर्गत डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी एवं भेड़ पालन, मत्स्य पालन आदि में वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर बैंकों द्वारा निम्नवत ऋण वितरित किए गए हैं

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	मद	कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण खातों की संख्या	कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण राशि
1.	डेयरी	2848	4748.01
2.	मुर्गी पालन	606	2279.94
3.	भेड़/बकरी/सुअर पालन	2460	1871.98
4.	प्लांटेशन एवं बागवानी	569	1652.51
5.	मत्स्य पालन	390	788.46
6.	फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग	827	36950.05
7.	स्टोरेज गोदाम	593	1921.77
8.	जल संसाधन	447	1696.78
9.	भूमि विकास	611	1776.34
10.	कृषि यंत्रिकरण	1664	2850.21
11.	अन्य (कृषि संबंधी क्रियाकलाप)	49424	102655.93
कुल योग		**60439**	**159191.98**

बैंकों से प्रदत्त सूचना के अनुरुप अन्य कृषि संबंधित क्रियाकलाप के अंतर्गत एग्री गोल्ड लोन, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषकों को वितरित गृह ऋण, माइक्रो फाइनेंस, ज्वाइंट लाइबलिटी ग्रुप, ट्रैक्टर ऋण व बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र की विभिन्न अनुषंगी गतिविधियों हेतु बनायी गयी ऋण योजनाओं में दिए गए ऋण शामिल हैं।

(ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : (SLBC – 22 & 23)

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी (AIC- Nodal Agency) द्वारा अवगत कराया गया समस्त बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना / मौसम आधारित फसल बीमा योजना – खरीफ 2019 के अंतर्गत संसूचित फसलों के लिए निर्धारित समयावधि के अनुसार माह सितम्बर, 2019 तक लगभग **1,39,427 कृषकों** को बीमा से आच्छादित किया गया है।

फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत की गयी प्रगति का विवरण निम्नवत है :

(₹ in lacs)

Scheme	Season	Farmer Type	Farmer Insured	Sum Insured	Farmer Premium
PMFBY	Kharif 2019	Bank (Loanee)	78579	35412.51	593.06
PMFBY	Kharif 2019	Non Loanee	12867	533.13	8.32
PMFBY Kharif 2019 Total			**91446**	**35945.64**	**601.38**
RWBCIS	Kharif 2019	Bank (Loanee)	43199	19945.52	993.81
RWBCIS	Kharif 2019	Non Loanee	4782	532.44	24.95
RWBCIS Kharif 2019 Total			**47981**	**20477.96**	**1018.76**
Kharif 2019 Total			**139427**	**56423.60**	**1620.14**

रबी 2019–20 :

उत्तराखंड शासन द्वारा जारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2019–20 की अधिसूचना सभी बैंकों को प्रेषित कर दी गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है :

योजना	संसूचित फसल	बीमा प्रीमियम	बीमा प्रीमियम नामे करने की अंतिम तिथि	प्रीमियम प्रेषित एवं डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि
PMFBY	गेंहू एवं मसूर	कुल बीमित का 1.5%	15.12.2019	31.12.2019

उत्तराखंड शासन द्वारा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना मौसम रबी 2019–20 हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है :

योजना	संसूचित फसल	बीमा प्रीमियम नामे करने की अंतिम तिथि	प्रीमियम प्रेषित एवं डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि
Re-WBCIS	सेब, आड़ू, माल्टा, संतरा, मौसमी, आम, लीची, आलू, टमाटर एवं मटर	31.12.2019 तक अनुमोदित ऋण सीमा	15.01.2020

क्लस्टरवार / जिलेवार / फसलवार वास्तविक प्रीमियम दरें (Actuarial Premium Rate) कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर, प्रीमियम सब्सिडी का विवरण निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण उत्तराखंड के पत्र संख्या 2146/फसल बीमा योजना रबी 2019–20 दिनांक 11 नवम्बर, 2019 में निहित है, जिसकी सूचना सभी बैंकों को प्रेषित कर दी गयी है।

वित्तीय संस्थानों द्वारा आच्छादित कृषकों का विवरण (ऋणी), जिनके परिप्रेक्ष्य में प्रीमियम, क्रियान्वयन अभिकरण (Implementing Agency) को प्रेषित किया गया है, उनका विवरण निश्चित रुप से समयानुसार कट ऑफ डेट के भीतर भारत सरकार के पोर्टल (pmfby.gov.in) पर अनिवार्य रुप से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (pmfby.gov.in) पर uploaded कृषक ही बीमा योजना के

अंतर्गत आच्छादित माने जाएंगे तथा इसी के अनुसार केंद्र सरकार व राज्य सरकार प्रीमियम में अपना अंश / हिस्सा नियमानुसार जारी करेंगे।

एजेण्डा संख्या – 5 : ऋण–जमा अनुपात : **(SLBC - 1)**

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों की प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 14 नवम्बर, 2019 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा सम्बन्धित जिला अधिकारियों को Video Conferencing के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि वे अपने–अपने जिलों में ऋण–जमा अनुपात बढाने हेतु रेखीय विभागों एवं बैंकों के साथ बैठक कर रणनीति बनाएं। सभी अग्रणी जिला प्रबन्धक, बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों को अविलम्ब निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें, जिससे जिले के ऋण–जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि दर्ज हो सके।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर राज्य का ऋण–जमा अनुपात **57** प्रतिशत रहा है। निम्न जिलों का ऋण–जमा अनुपात **40** प्रतिशत से कम है।

जिला	बैंक शाखाओं की संख्या	ऋण–जमा अनुपात	जिला	बैंक शाखाओं की संख्या	ऋण–जमा अनुपात
रुद्रप्रयाग	54	23	बागेश्वर	51	28
टिहरी	134	26	चम्पावत	58	27
पौड़ी	197	24	अल्मोड़ा	145	22

एजेण्डा संख्या – 6 : सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत गैर–निष्पादित आस्तियों का विवरण :

उत्तराखंड राज्य में कार्यरत 12 बैंकों यथा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, नैनीताल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एवं इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का विवरण निम्नवत है :

(₹ In Lacs)

Sl.	Scheme	Total Outstanding		Gross NPA		GNPA %
		No.	Amt.	No.	Amt.	
1	PMEGP	6296	17064.11	1198	1854.32	10.87
2	SCP	4076	11008.84	738	341.63	3.10
3	VCSGY	1833	11278.26	309	2234.93	19.82
4	NULM	1781	3610.74	209	211.49	5.86
5	SJSRY	1933	595.67	664	246.38	41.36
6	NRLM	5255	2177.41	443	229.13	10.52
7	SGSY	1762	1153.81	850	519.90	45.06
8	DIR	6051	572.12	1282	132.18	23.10
9	MUDRA YOJANA	107935	204758.53	12304	14660.70	7.16
10	DEDS	7875	10792.18	1399	2144.06	19.87
11	STAND UP INDIA	1045	19097.83	51	940.32	4.92
12	PMAY	2073	13576.66	03	16.37	0.12
TOTAL		**147915**	**295686.16**	**19450**	**23531.41**	**7.96**

भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त Special Mention Accounts का विवरण निम्नवत है :

(₹ in Crore)

Segment	SMA - 0	SMA - 1	SMA - 2	SMA Total
AGR	11.71	54.28	672.72	738.71
PER	172.29	12.52	28.43	213.24
RE	108.48	23.04	55.27	186.79
SME	187.65	205.84	91.77	485.26
	480.13	295.68	848.19	1624.00

30 सितम्बर, 2019 तक सरकारी योजनाओं के अंतर्गत वसूली प्रमाण पत्रों की लम्बित स्थिति निम्नवत है :

(SLBC – 39A & 39B)

(₹ करोड़ में)

	संख्या	लम्बित राशि
एक वर्ष से कम	14613	201.84
एक वर्ष से तीन वर्ष तक	17033	257.56
तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक	5589	48.73
पाँच वर्ष से अधिक	5207	57.32
कुल लम्बित आर.सी.	42442	565.45

(₹ करोड़ में)

01.04.2019 से 30.09.2019 तक वसूली की स्थिति	वसूली प्रमाण पत्रों की संख्या	वसूल की गयी राशि	प्रतिशत
	5837	38.68	6.84

एजेण्डा संख्या – 7 : कौशल विकास मिशन :

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) की गतिविधियों की समीक्षा :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में कार्यरत 13 आरसेटी संस्थानों द्वारा **255** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा **6650** अभ्यर्थियों को वांछित रोजगारपरक क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष **127** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत **3373** अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान से प्रदत्त सूचना के अनुरुप आरसेटी संस्थानों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं कार्य आरम्भ करने से अब तक दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है :

विवरण	कुल आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल प्रशिक्षणार्थियों में से रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों का %	बैंक द्वारा वित्तपोषण की संख्या	रोजगार %
01.04.2019 से 30.09.2019	127	3373	1883	56	1022	55
01.04.2011 से 31.08.2019 पोर्टल पर अपडेट	2109	55506	38247	69	17621	48

उत्तराखंड राज्य में आरसेटी संस्थानों द्वारा 61 प्रकार के उद्यम / रोजगार स्थापित करने की गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने अनुमोदित किए गए हैं, जिसका विस्तृत विवरण आरसेटी की वेबसाइट (www.nacer.in) पर उपलब्ध है।

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन से अनुरोध है कि राज्य में कार्यरत 13 संस्थानों द्वारा **2903** अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण पर सितम्बर, 2019 तक व्यय की गयी राशि **₹ 99.13 लाख** प्रतिपूर्ति हेतु लम्बित है, जिसका विवरण निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	जून, 2019		सितम्बर, 2019	
		प्रशिक्षार्णियों की संख्या	लम्बित राशि	प्रशिक्षार्णियों की संख्या	लम्बित राशि
1	2017-18	121	4.28	423	2.86
2	2018-19	2045	109.83	2480	96.27
	कुल	**2166**	**114.11**	**2903**	**99.13**

दिनांक 18 नवम्बर, 2019 की ग्राम्य विकास की बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया है कि आरसेटी संस्थान Common Norms Notification का अनुपालन किए जाने की पुष्टि शासन को उपलब्ध करायें, जिससे कि उनके भुगतान हेतु लम्बित राशि पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जिन आरसेटी संस्थानों को भूमि उपलब्ध कराते हुये अन्य औपचारिकताएं / प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है, के भवन निर्माण पर सम्बन्धित बैंक तुरन्त निर्णय लें और यदि इस विषय में कोई समस्या आ रही है तो इस विषयक शासन को अवगत कराया जाए।

एजेण्डा संख्या – 8 :

(क) <u>सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं</u> : **(SLBC – 16 & 16A)**

(i) <u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत (NULM Individual)</u> :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	स्वीकृत ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
1000	692	274	180	262.60	247	171

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों की प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 14 नवम्बर, 2019 में अद्यतन सूचना के अनुरुप विभाग द्वारा माह अक्टूबर, 2019 तक **1053** ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना सूचित किया गया है।

(ii) <u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन समूह (NULM Group)</u> : **(SLBC – 17 i & 17i A)**

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
12	01	01	01	10.00	-	-

(iii) <u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह (NULM - SHG)</u> :

(SLBC – 17 ii & 17ii A)

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
24	16	13	13	10.66	-	03

(iv) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) : (SLBC - 18)

दिनांक 18 नवम्बर, 2019 को ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखंड शासन द्वारा ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों व बैंकों में प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों में आ रहे अन्तर के समाधान हेतु एन.आर.एल.एम. के पदाधिकारी सितम्बर, 2019 तक बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का विवरण on-line portal पर entry कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि प्रत्येक स्तर पर ऋण आवेदन पत्रों की प्रगति निगरानी की जानी सम्भव हो सके। साथ ही सभी बैंकों यथा बैंक आफ बडौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सहकारी बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद बैंक, नैनीताल बैंक तथा यूनियन बैंक को निर्देशित किया गया है कि उनकी शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों को अविलम्ब निस्तारण करवायें।

सदन को अवगत कराना है कि दिनांक 05 नवम्बर, 2019 को बुवाखाल, जिला पौड़ी में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित कैम्प में महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक एवं सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की उपस्थिति में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा **110** स्वयं सहायता समूहों को **₹ 95** लाख का ऋण वितरण किया गया है।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	विभाग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र	बैंकों को विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
7610	7817	6899	3591	1774	1488.49	1745	1563

(v) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम : (SLBC – 7 to 7 C a)

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दिनांक 13.11.2019 तक दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन 30 दिन तक	लम्बित आवेदन पत्र 30 दिन से अधिक	अनुदान वितरण का लक्ष्य	अनुदान वितरण राशि
DIC – 528	1622	611	344	1430.09	751	37	223	1581.29	735.98
KVIC – 395	239	78	47	220.37	107	14	40	1185.95	174.41
KVIB – 395	885	335	191	763.36	386	27	137	1185.95	361.24
Total – 1318	**2746**	**1024**	**582**	**2413.82**	**1244**	**78**	**400**	**3953.19**	**1271.63**

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य **₹ 39.53 करोड़** के सापेक्ष **₹ 12.72 करोड़ (32%)** की प्रगति दर्ज की गयी है।

दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को अपर मुख्य सचिव (मा. मुख्यमंत्री, कार्मिक, सर्तकता), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में आयोजित अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई. एवं ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी के माध्यम से उपरोक्त योजनांतर्गत प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा मार्जिन मनी का दावा ऑन–लाइन पोर्टल पर अपलोड करें।

(vi) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना : **(SLBC – 9 to 9B)**

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
वहन – 147	92	51	37	3.95	10	31
गैर–वाहन – 153	65	21	11	2.63	19	25
कुल योग – 300	157	72	48	6.58	29	56

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों की प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 14 नवम्बर, 2019 में अद्यतन सूचना के अनुरुप विभाग द्वारा **219** ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना सूचित किया गया है।

(vii) दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना : **(SLBC - 11)**

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर प्रगति निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
125	39	27	2.90	45	41

(viii) प्रधानमंत्री आवास योजना – (PMAY) : **(SLBC - 48)**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर योजनांतर्गत बैंकों को प्रेषित कुल लक्ष्य **4000** के सापेक्ष प्रगति का विवरण निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

विभाग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र					शाखाओं द्वारा स्वयं source कर स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र		सकल स्वीकृति	
प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र		निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र				
संख्या	संख्या	राशि	संख्या	संख्या	संख्या	राशि	संख्या	राशि
105	48	342	26	31	959	14554.10	1007	14896.10

उक्त के अतिरिक्त राज्य में कार्यरत हाउसिंग फाइनेसिंग कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत **1350** लाभार्थियों को भवन निर्माण हेतु वित्तपोषण किया गया है। अतः योजनांतर्गत कुल **2351** लाभार्थियों को आवास ऋण वितरित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संबंधित नोडल एजेन्सियों द्वारा बैंकों व बैंकिंग हाऊसिंग कंपनियों द्वारा वितरित ऋणों पर अनुदान राशि अवमुक्त करने का विवरण निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

नोडल एजेन्सी	स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	वितरित अनुदान राशि
एन.एच.बी.	1017	146.47	25.04
हुडको	123	13.22	2.76
कुल	1140	159.69	27.80

(ix) प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) ऋण योजना : (SLBC – 28 A a to 28 A d)

वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर सभी बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ करोड़ में)

योजना	ऋण राशि सीमा	सितम्बर, 2019		
		लक्ष्य	वितरित ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि
शिशु	₹ 50000 तक के ऋण (ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित)	190.33	56799	151.37
किशोर	₹ 50000 से ₹ 5.00 लाख	647.20	19108	422.06
तरुण	₹ 5.00 लाख से ₹ 10.00 लाख	612.59	4922	408.28
कुल संख्या एवं ऋण राशि		1450.12	80829	981.71

वित्तीय वर्ष 2019–20 की द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत **80,829** लाभार्थियों को **₹ 981.71 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए हैं तथा अनुमानतः **1,09,786** व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

(x) पिरुल नीति :

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों की प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 14 नवम्बर, 2019 में मुख्य सचिव महोदय द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में शाखाओं में पिरुल नीति से संबंधित 09 ऋण आवेदन पत्रों के लम्बित होने के कारणों पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी तथा स्थिति को अपर मुख्य सचिव (मा. मुख्यमंत्री, कार्मिक एवं सतर्कता), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को आयोजित अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में रखा गया था। अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उरेडा व संबंधित बैंक के मध्य एक बैठक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड में आयोजित कर चेक लिस्ट तैयार कर ली जाए, जिसके अनुरुप नोडल विभाग द्वारा भविष्य में check list के अनुरुप ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किए जाएं।

(xi) स्टैण्ड अप इण्डिया : (SLBC - 44)

योजनांतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु न्यूनतम **₹ 10.00 लाख** से अधिकतम **₹ 1.00 करोड़** के ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ करोड़ में)

मद	लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2019–20 30 सितम्बर, 2019 तक की प्रगति			योजना के आरम्भ (05.04.2016) से वर्तमान त्रैमास तक की प्रगति	
		प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	स्वीकृत राशि	कुल वितरित ऋण आवेदन पत्र	कुल वितरित ऋण राशि
महिला	1091	81	81	19.82	1268	285.82
अनुसूचित जाति/ जनजाति	1091	39	39	5.64	300	54.89
योग	2182	120	120	25.46	1568	340.71

(xii) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान : (SLBC - 15 to 15c)

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

योजना	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
अनुसूचित जाति	1463	819	550	455	285.02	70	199
अनुसूचित जनजाति	100	80	52	50	15.60	08	20
अल्पसंख्यक समुदाय	225	58	19	13	50.00	19	20
कुल योग	1788	957	621	518	350.62	97	239

(ख) Advance against Warehouse Receipts :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के सितम्बर, 2019 त्रैमास तक योजनांतर्गत निम्न बैंकों द्वारा प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ करोड़ में)

बैंक	खातों की संख्या	ऋण राशि
भारतीय स्टेट बैंक	02	109.00
पंजाब नेशनल बैंक	11	54.80
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	01	40.00
नैनीताल बैंक	02	50.00
कुल योग	**16**	**253.80**

(ग) उद्योग नीति, एम.एस.एम.ई., कृषि नीति में समय–समय पर होने वाले परिवर्तन / संशोधनों के संदर्भ में सदन को अवगत कराने का अनुरोध करते हैं।

नाबार्ड द्वारा पत्र संख्या NB.UK.mCID/2435/Misc./2019-20 दिनांक 18 नवम्बर, 2019 के माध्यम से एस.एच.जी. बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत 650 Village Level Programmes करना प्रस्तावित किया गया है, जिसकी समुचित कार्ययोजना निर्देशों के अनुरुप जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में सी.डी.ओ, अग्रणी जिला प्रबंधक, डी.डी.एम., नाबार्ड, एस.आर.एल.एम. के अधिकारियों द्वारा बनाकर निष्पादित किया जाना है। प्रत्येक Village Level Programmes कैम्प के लिए प्रति शाखा ₹ 2000/- की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

(घ) <u>प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण वितरण की प्रगति समीक्षा</u> :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय त्रैमास में प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों द्वारा वित्तपोषित अल्पसंख्यक समुदाय की प्रगति निम्नवत है :

(₹ In Crore)

Christians (1)		**Muslims (2)**		**Sikhs (3)**		**Others (4)**		**Total Advances (1+2+3+4)**	
A/cs	Amt.	A/cs	Amt.	A/cs	Amt.	A/cs	Amt.	A/cs	Amt.
203	5.45	19620	190.36	4619	180.18	3410	241.89	**27852**	**617.88**

एजेण्डा संख्या – 9 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

****